

न्यायालय—श्रीमती विनीता गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जिला सीहोर (म0प्र0)

क्रमांक :- 232 /मु.न्या.म./2026

सीहोर, दिनांक—29.04.2026

॥ आ दे श ॥

इस आदेश द्वारा नीचे उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर को उनके नाम के समक्ष **माह मई, जून 2026** में दर्शित अवकाश की तिथियों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथियों को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

सीहोर

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह—मई	माह—जून
1.	श्री अरविंद गूर्जर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	10.05.2026	14.06.2026
2.	श्री दीपेंद्र मालू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	16.05.2026 17.05.2026	—
3.	श्रीमती उजाला शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	31.05.2026	28.06.2026
4.	सुश्री श्वेता रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	27.05.2026	20.06.2026 21.06.2026
5.	सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	01.05.2026 02.05.2026 03.05.2026	—
6.	श्री विशद गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	24.05.2026	26.06.2026
7.	श्री साकेत जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	—	06.06.2026 07.06.2026

आष्टा :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-मई	माह-जून
8.	श्रीमती मीनाक्षी रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	10.05.2026	14.06.2026 20.06.2026
9.	प्रीति अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	02.05.2026	07.06.2026 26.06.2026
10.	श्रीमती ऋचा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	03.05.2026 17.05.2026 24.05.2026 27.04.2026	—
11.	श्रीमती नेहा तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	16.05.2026 31.05.2026	06.06.2026
12.	श्री अमन सूलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा, जिला सीहोर	01.05.2026	21.06.2026 28.06.2026

नसरुल्लागंज

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-मई	माह-जून
13.	श्रीमती प्रगति मिश्रा सनमोरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	02.05.2026 03.05.2026 10.05.2026 31.05.2026	06.06.2026 07.06.2026 26.06.2026 28.06.2026
14	श्रीमती अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	01.05.2026 16.05.2026 17.05.2026 24.05.2026 27.05.2026	14.06.2026 20.06.2026 21.06.2026

बुदनी

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-मई	माह-जून
15	सुश्री सपना शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी, जिला सीहोर	01.05.2026 02.05.2026 03.05.2026 10.05.2026	06.06.2026 07.06.2026 14.06.2026
16	सुश्री मिताली पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी, जिला सीहोर	16.05.2026 17.05.2026 24.05.2026 27.05.2026 31.05.2026	20.06.2026 21.06.2026 26.06.2026 28.06.2026

नोट :-

- 1- इछावर न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने से उनके रिमांड का आवश्यक कार्य सीहोर में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट श्री विशद गुप्ता द्वारा संपादित किया जायेगा।
- 2- उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त यदि कोई अवकाश दिवस घोषित होता है तो :-

सीहोर :-

माह मई, जून में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर मुख्यालय पर उपस्थित कनिष्ठतम् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील आष्टा :-

माह मई, जून में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील पर उपस्थित कनिष्ठतम् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील नसरुल्लागंज :-

माह मई, जून में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील पर उपस्थित कनिष्ठतम् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील बुदनी :-

माह मई, जून में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील पर उपस्थित कनिष्ठतम् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील इछावर :-

- माह मई, जून में कोई अवकाश दिवस या लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील इछावर में पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

2— बुदनी मजिस्ट्रेट के अनुपलब्ध होने पर वहां का रिमांड कार्य **नसरुल्लागंज** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा और उनके भी उपलब्ध न होने पर **सीहोर** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जायेगा।

3— नसरुल्लागंज में मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर वहां का रिमांड कार्य **बुदनी** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा और उनके भी उपलब्ध न होने पर **सीहोर** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

4— इछावर मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर उनका रिमांड कार्य **सीहोर** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

5— यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणों से अवकाश अथवा प्रशिक्षण में जाते हैं तो इस दशा में उनकी रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

6— उक्त दिनांकों को संबंधित न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने-अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेंगे।

7— उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी के भी स्थानांतरण होने की दशा में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा या उनके पद उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड कार्य संपन्न किया जावेगा।

8— यदि किसी अवकाश दिवस में किसी कारणवश परिवर्तन होता है तो उस अवकाश दिवस में नियत रिमाण्ड ड्यूटी को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जावेगा।

9— यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियत रिमांड ड्यूटी में किसी अपरिहार्य कारणवश परिवर्तन करना आवश्यक हो तो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में सहमति उपरान्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से रिमाण्ड तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

10— जिला स्थापना सीहोर एवं तहसील में पदस्थ जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी निर्धारित है उन्हीं मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रोटोकॉल के संबंध में प्रोटोकॉल ड्यूटी संपादित की जावेगी एवं अवकाश तिथि में मुख्यालय पर उपस्थित मजिस्ट्रेट सहयोग हेतु तत्पर रहेंगे।

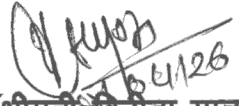
नोट :-

1— उक्त सूची में वर्णित किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ कनिष्ठतम से वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्तानुसार रिमाण्ड कार्य संपादित किया जावेगा।


(श्रीमती बिनीता गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त थाना प्रभारी की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि प्रकरण से संबंधित जानकारी कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **-dcourtseh_mp@nic.in** पर आवश्यकतानुसार प्रेषित करें।
- 4- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि उक्त रिमाण्ड पत्रक से तहसील अभिभाषक संघ को अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रकरण से संबंधित आवेदन व दस्तावेज कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **dcourtseh_mp@nic.in** पर आवश्यकतानुसार प्रेषित करें।
- 5- सिस्टम आफिसर/अस्सिस्टेंट सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में न्यायालय में उपस्थित होकर व्ही.सी. की नियमानुसार कार्यवाही संपादित करायें।
- 6- सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर प्रत्येक संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई-मेल तथा जिला न्यायालय सीहोर के पोर्टल/वेबसाइट में प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
- 7- जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, आष्टा, नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(श्रीमती विनीता गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)